न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 16/24 वर्ष 2024

GCMS NO :-2024/126

बउनवानीः-सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

श्री रामजीलाल पुत्र स्व0श्री बिरदीचन्द जाति साहू निवासी भाडौती, पीएनबी के पास तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :- श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद

श्री हरिश भारद्वाज वकील अप्रार्थी

-: निर्णय :- दिनांक 12.11.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, मलारना डूंगर द्वारा दिनांक 8.10.2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.9.2024 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलु एल.पी.जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स साहू मोटर्स पंजाब नेशनल बैंक के पास भाडोती पर घरेलू गैस सलेण्डर का अवैध भण्डारण पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये 36 गैस सिलेन्डर व 3 गैस रिफिलिंग मोटर व 49 गैस सलेण्डर केप अप्रमाणित को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूंगर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 8.10.2024 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्रीमति पूजा मीना, प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह सुश्री ज्योति शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 20.9.2024 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स साहू मोटर्स भाडोती पर पहुॅचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच श्री रामजीलाल साहू उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 36 घरेलू गैस सिलेन्डर का अवैध भण्डार एवं फर्म पर व्यवसायिक (रिफिलिंग) कार्य मे अवैध उपयोग लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गैस सलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 36 गैस सलेण्डर 14.2 किग्रा कम्पनी आईओसीएल अप्रमाणित एवं 3 गैस रिफिलिंग मोटर व 49 गैस सलेण्डर कैप को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया गया एवं निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स राज गैस ऐजेन्सी मलारना चौड के प्रतिनिधि श्री रमेश चन्द मीना पुत्र श्री हरिकेश मीना निवासी मलारना चौड को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी मे दिये गये है।

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 16/2024 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम रामजी लाल साहू)

मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नं.	खाली सिलेण्डर का वजन किग्रा	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार किग्रा	शुद्ध गैस वजन किग्रा
1	आईओसीएल	557197	16.300	16.600	0.300
2	भारत गैस	220715	15.500	16.100	0.600
3	आईओसीएल	346252	15.600	29.800	14.200
4	आईओसीएल	174245	15.700	16.000	0.300
5	भारत गैस	715040	15.800	16.490	0.690
6	भारत गैस	872688	15.600	16.320	0.720
7	आईओसीएल	096207	16.000	16.300	0.300
8	भारत गैस	370821	15.900	16.500	0.600
9	एचपीसीएल	06–90	17.000	29.700	12.700
10	एचपीसीएल	627625	15.500	29.800	14.300
11	भारत गैस	457144	15.300	15.850	0.550
12	भारत गैस	510975	15.700	16.200	0.500
13	भारत गैस	398511	15.400	15.590	0.190
14	भारत गैस	280986	15.400	15.900	0.500
15	भारत गैस	448291	15.800	16.400	0.600
16	भारत गैस	113278	15.600	16.090	0.490
17	भारत गैस	459129	15.600	16.170	0.570
18	भारत गैस	870836	16.100	30.700	14.600
19	एचपीसीएल	036884	15.400	15.700	0.300
20	भारत गैस	518412	15.700	16.300	0.600
21	भारत गैस	896621	15.300	15.950	0.650
22	भारत गैस	891137	15.200	29.800	14.600
23	भारत गैस	519603	15.800	30.470	14.670
24	भारत गैस	538663	15.600	16.290	0.690
25	भारत गैस	76986	15.500	16.000	0.500
26	भारत गैस	312511	15.800	16.360	0.560
27	भारत गैस	268961	15.900	16.470	0.570
28	भारत गैस	445724	15.400	15.840	0.440
29	आईओसीएल	48835	15.600	15.900	0.300
30	भारत गैस	149099	15.800	16.300	0.500
31	भारत गैस	415993	15.700	30.320	14.620
32	आईओसीएल	102243	15.700	15.900	0.200
33	आईओसीएल	849768	15.800	16.000	0.200
34	भारत गैस	386660	15.800	16.000	0.200
35	भारत गैस	35189	15.900	16.490	0.590
36	भारत गैस	359901	15.900	30.540	14.640
	कुल गैस भार		**565.600**	**693.140**	**127.540**

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 16/2024 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम रामजी लाल साहू)

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 36 गैस सलेण्डर, 3 गैस रिफिलिंग मोटर व 49 गैस सलेण्डर कैप को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित किया कि अप्रार्थी के विरूद्व गलत, मिथ्या,भ्रमात्मक एवं झूंठे मुकदमे में फंसाने के लिए विधि विरूद्व मुकदमा बनाकर पेश किया है। जिसमे किसी भी प्रकार की सत्यता नही है क्योकि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश,2000 के तहत कार्यवाही हेतु सेल्स ऑफिसर अधिकृत है जबकि परिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार कोई भी सेल्स ऑफिसर मौजूद नही था इसलिए उक्त कार्यवाही विधि विरूद्व है। प्रवर्तन निरीक्षक घेरलू गैस का दुरूपयोग रोकने हेतु प्रार्थी की फर्म पर जाना बताया गया किन्तु इस बाबत कोई सूचना जॉच दल के पास नही होने के बावजूद भी फर्म पर पहुँचना प्रवर्तन स्टॉफ की कार्यवाही संदिग्ध एवं रंजिशवश है। अप्रार्थी उक्त फर्म का मालिक/कर्मचारी नही है। अप्रार्थी को तथाकथित स्थान के तलाशी/निरीक्षण/जॉच हेतु या मालिक/कर्मचारी होने बाबत कोई नोटिस नही दिया ओर ना ही अप्रार्थी कथित घटना के दिन कथित स्थल पर मौजूद था। निरीक्षण पर्चा प्रि–प्रिन्टेड है जिसपर अप्रार्थी या अंकित गवाहो, प्रवर्तन अधिकारी के हस्ताक्षर ,मोहर नही है ओर ना ही गवाहो के पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है ना ही गवाहो के बयान लिये गये है इस बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य नही है। मौका नक्शा मे कथित स्थल पर मौजूद गवाहो को गवाही बाबत नोटिस दिया हो या बयान लिया हो इस बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है। जॉच अधिकारी द्वारा यह भी नही बताया कि कथित सलेण्डर/अंकित सलेण्डर कम्पनी के द्वारा किस व्यक्ति को आवंटित किया गया है कोई साक्ष्य नही है। पत्रावली पर ऐसा कोई सबूत नही है जिससे यह साबित होता हो कि तथाकथित सलेण्डर का अवैध बैचान या इनका उपयोग गाडी मे गैस भरने मे किया जा रहा हो। अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सलेण्डर पर अपना मालिकाना हक जताया हो। उक्त गैस सलेण्डर अप्रार्थी के कब्जे मे कहॉ से आऐ है जॉच/साक्ष्य द्वारा प्रथम दृष्टया साबित नही है। यह भी तर्क दिया कि मालिकाना हक के दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर आरोप से बरी किया जा सकता है। यह तर्क भी दिया कि बिना आदेश के दुकान की जॉच करना विधि विरूद्व है प्रस्तुत मुकदमा मे जॉच अधिकारी द्वारा न तो असली मालिक को नोटिस दिया है ओर ना ही अप्रार्थी को मालिकाना हक एवं जॉच बाबत नोटिस दिया गया है। इस प्रकरण मे जॉच अधिकारी द्वारा किसी भी गवाह के बयान दर्ज नही किये गये है । यह तर्क भी दिया कि धारा 3/7 के दण्डनीय अपराध हेतु सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत नही किया है तथा प्रवर्तन निरीक्षक को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के निमयो के तहत जब्ती करने कने हेतु सक्षम नही है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का रिफिलिंग का कार्य नही किया जाता है

पैरोकार रसद को सुनने एवं संबंधित पत्रावली मे उपलब्ध जवाब का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूँगर द्वारा दिनांक 20.9.2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 36 गैस सलेण्डर को व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर रखने की कोई विधिक स्वीकृति एवं उचित कारण नही बताया गया है। जहॉ तक जब्त किये गये 36 गैस सलेण्डर का उपयोग गैस रिफिलिंग के लिए किये जाने की पुष्टि का प्रश्न है तो गैस रिफिलिगं की पुष्टि मौके पर से जब्त की गयी 3 गैस रिफिलिंग मोटर से हो जाती है। यद्यपि अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सलेण्डरर्स अपने नही बताये गये। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूँगर द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी मलारना डूँगर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 36 गैस सिलेन्डर मय 3 रिफिलिगं मोटर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 36 गैस सलेण्डर मय 3 रिफिलिगं मोटर का नियमानुसार निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner